

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 2(06)नविवि/II/1999

जयपुर, दिनांक: 21 JUL 2022

संशोधित आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.12.2021 द्वारा श्री पूरणा राम बेनीवाल, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक का दिनांक 12.09.2019 से 02.10.2019 तक (21 दिवस) की अवधि को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के दौरान राजस्थान सेवा नियम 7(8) ख (iii) के अंतर्गत कर्तव्य पर मानकर नियमित करते हुए उक्त प्रतीक्षा अवधि के वेतन भत्तों को कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर के रिक्त पद के विरुद्ध आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

उक्त विभागीय आदेश दिनांक 30.12.2021 के प्रथम पैरा में उल्लेखित अवधि दिनांक 12.09.2019 से 02.10.2021 को संशोधित करते हुए दिनांक 12.09.2019 से 02.10.2019 तक (21 दिवस) किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नविवि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर
6. श्री पूरणा राम बेनीवाल, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय